इसे वेबसाईट www.govtpressinp.nic.io से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 मई 2022-ज्येष्ठ 3, शक 1944

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मई 2022

आदेश

फा. क्र. 10—क—चार—निरर्हित—2022—114.— भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्र. 76-MP-LA-2018-WS-I-8549, दिनांक 09—05—2022 जिसके द्वारा आयोग ने लोक प्रतिधिनियम, 1951 की धारा 10क के तहत् विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2018 में ग्वालियर जिले की 17—ग्वालियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 02 अभ्यर्थियों 1. श्री गजेन्द्र कुशवाह— राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा पार्टी, 2. श्री दिलीप मिश्रा— आम आदमी पार्टी, जो कि अपने निर्वाचन का कोई भी व्यय लेखा समय से दाखिल न करने के कारण "संसद के किसी भी सदन या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए" उक्त आदेश की तारीख से तीन वर्ष तक के लिए निरर्हित घोषित किया है, को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाना है.

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव,

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1

दिनांकः 9 मई, 2022

19 बैसाख 1944(शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जिरए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 17-ग्वालियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 20.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/4-ग्वालियर/2019/943 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह, मध्य प्रदेश के 17-ग्वालियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

निर्वाचन लड़ने वाले राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा पार्टी के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.07.2019 को जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 03.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जिरए श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यत:, उक्त नोटिस उनके द्वारा 17.08.2020 को प्राप्त किया गया था । अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा दिनांक 23.02.2021 के पत्र संख्या निर्वा/25-6/70/2018/2073 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा अपने दिनांक 23.02.2021 के पत्र सं. निर्वा/25-6/70/2018/2073 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (ण) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (त) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरिहंत घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निरिहंत होगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 17-ग्वानियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा के अभ्यर्थी, श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह, निवासी - सुनारों की बिगया, जेल रोड़, रामदास घाटी, ग्वानियर, म.प्र. को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए निरहिंत घोषित करता है।

आदेश से, हस्ता. / – **(अमित कुमार)** सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.76/MP-LA/2018/WS-I

Dated : 9 May, 2022 19 Vaisakha, 1944 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of 17-Gwalior South Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 17.01.2019 submitted by the District Election Officer, Gwalior District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/4-Gwalior/2019/943 dated 20.01.2019, Shri Gajendra Singh Kushwah, contesting candidate of Rastriya Rakshak Morcha from 17-Gwalior South Assembly Constituency of Madhya Pradesh, failed to lodge any account of his election expenses.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, Gwalior District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated 03.07.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to Shri Gajendra Singh Kushwah for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 03.07.2019, Shri Gajendra Singh Kushwah was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 17.08.2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, Gwalior vide his letter No. Elec./25-6/70/2018/2073 dated 23.02.2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Gwalior vide his letter No. Elec./25-6/70/2018/2073 dated 23.02.2021 it has been stated that Shri Gajendra Singh Kushwah has not submitted any representation or a statement of correct

account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Gajendra Singh Kushwah** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (o) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (p) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Gajendra Singh Kushwah, resident of Village – Sunaron Ki Bagiya, Jail Road, Ramdas Ghati, Gwalior, MP the contesting candidate of Rastriya Rakshak Morcha for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from 17-Gwalior South Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
Sd/(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1

दिनांकः 9 मई. 2022

19 बैसाख 1944(शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जिरए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 17-ग्वालियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 20.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/4-ग्वालियर/2019/943 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री दिलीप मिश्रा, मध्य प्रदेश के 17-ग्वालियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दिलीप मिश्रा को कारण बताओं नोटिस दिनांक 03.07.2019 को जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 03.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जिरए श्री दिलीप मिश्रा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यत:, उक्त नोटिस उनके पिता द्वारा 17.08.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा दिनांक 23.02.2021 के पत्र संख्या निर्वा/25-6/70/2018/2073 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा अपने दिनांक 23.02.2021 के पत्र सं. निर्वा/25-6/70/2018/2073 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दिलीप मिश्रा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दिलीप मिश्रा, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (थ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (द) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरिहंत घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निरिहंत होगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 17-ग्वालियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी, श्री दिलीप मिश्रा, निवासी 152, शिव कॉलोनी, ढोलीबुआ का पुल, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र. को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से, हस्ता. / – **(अमित कुमार)** सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.76/MP-LA/2018/WS-I

Dated: 9 May, 2022 19 Vaisakha, 1944

(Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of 17-Gwalior South Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 17.01.2019 submitted by the District Election Officer, Gwalior District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/4-Gwalior/2019/943 dated 20.01.2019, Shri Dileep Mishra, contesting candidate of Aam Aadmi Party from 17-Gwalior South Assembly Constituency of Madhya Pradesh, failed to lodge any account of his election expenses.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, Gwalior District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated 03.07.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to Shri Dileep Mishra for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 03.07.2019, Shri Dileep Mishra was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his father on 17.08.2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, Gwalior vide his letter No. Elec./25-6/70/2018/2073 dated 23.02.2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Gwalior vide his letter No. Elec./25-6/70/2018/2073 dated 23.02.2021 it has been stated that

Shri Dileep Mishra has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Dileep Mishra** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (q) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (r) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Dileep Mishra, resident of 152, Shiv Colony, Dolybua Ka Pul, Lashkar, Gwalior, MP the contesting candidate of Aam Aadmi Party for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from 17-Gwalior South Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
Sd/(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.